

248


दि 13.09 को
स्टाम्प नं 4 स/म. नं 10
नं 914 R-03/7/09

समक्ष - माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प जबलपुर म.प्र.

रिवीजन क्र. अ-6/08-09 निगम 924-I/09

याचिकाकर्ता :-

रवि शंकर राय आयु लगभग 65 वर्ष,
आत्मज स्व. भुलाकी राम राय
निवासी - एल.आइ.सी. के सामने
जिला अस्पताल के पास सिवनी
जिला - सिवनी



: विरुद्ध :-

उत्तरवादी :-

प्रमिला राव बेवा सन.जी. राव
निवासी - वारापत्थर, सिवनी
वर्तमान निवासी - दुर्गा मंदिर के पास,
मोदीवाड़ा, स्टा. जबलपुर

46

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. - राजस्व संहिता.

याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र. 624-अ-6/98-99 में दिनांक 3/1/09 को पारित अविधिक विधि विरुद्ध स्व प्रक्रिया विहीन आदेश से परिचयित होकर निम्नलिखित आधारों पर चुनौती देते हुये यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है ।

तथ्य लेख में :

॥1॥ यह कि, उत्तरवादी के द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक द्वितीय अपील क्रमिक 624-अ-6/98-99 कमिश्नर न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गयी थी ।

॥2॥ यह कि, उक्त प्रकरण प्रस्तुती दिनांक से दिनांक 17/12/08 तक अधिनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने तथा अपील की प्रचलनशीलता के बावत तर्क हेतु नियत होता आ रहा था ।

Handwritten signature or initials at the bottom left.

